

**ग्राम पंचायत घेड़, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1. प्रस्तावना :-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत घेड़, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | श्री राजिन्द्र सिंह | 1-4-2014 से 22-1-2017 |
| 2 | श्रीमति कमलेश देवी | 23-1-2017 से लगातार |

सचिव :-

- | | | |
|---|------------------|-----------------------|
| 1 | श्री राजेश कुमार | 1-4-2014 से 31-3-2017 |
|---|------------------|-----------------------|

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत घेड़ के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि
1	7	गृहकर की लम्बित वसूली	0.02
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	29.67

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत घेड़, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31/7/2017 से 3/8/2017 तक ग्राम पंचायत घेड़ में किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	3/2015	3/2015
2015-16	2/2016	1/2016
2016-17	3/2017	2/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत घेड़, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 193/2017 दिनांक 3-8-2017 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत घेड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत घेड़ के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	50772.62	75558.00	126330.62	24736.00	101594.62
2015-16	101594.62	31781.00	133375.62	47024.00	86351.62
2016-17	86351.62	130029.00	216380.62	64490.93	151889.69

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत घेड़ के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1026718.00	1668566.00	2695284.00	1697940.00	997344.00
2015-16	997344.00	1654549.00	2651893.00	1270824.28	1381068.72
2016-17	1381068.72	2852560.00	4233628.72	1266209.93	2967418.79

5 बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत घेड़ के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ वही तथा बैंक खातों में जमा राशि का अंतर शून्य था जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

- 1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4 (1) का अन्तशेष 151889.69
- 2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4 (2) का अन्तशेष 2967418.79

योग 3119308.48

Rounded Off to ₹3119308

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2017 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था ।

क्र. सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	KCCB DEHRA	20008005853	276974
2	KCCB BANKHANDI	20136020069	39907
3	KCCB BANKHANDI	20136020070	245766
4	KCCB BANKHANDI	50056250646(VKVNY/RELIF)	33402
5	KCCB BANKHANDI	50056250646(RAY)	738
6	PNB BANKHANDI	1990000100328137(14th)	1674066
7	PNB BANKHANDI	1990000100328119(MPLAD)	268112
8	PNB BANKHANDI	1990000100328146(TSC)	695.79
	Cash in hand		14

Details of bank balance as on 31/03/2017 IWMP

1	PNB BANKHANDI	1990000100323302 (Grant)	143336.79
2	PNB BANKHANDI	1990000100322212 (PS)	109889.00
3	PNB BANKHANDI	1990000100342173 (PMKSY)(G)	321322.00
4	PNB BANKHANDI	1990000100342182 (PMKSY)(PS)	5085.00
	Cash in hand		0
	Grnad Total		3119307.58

Rounded off to ₹3119308

अंतर 3119308 - 3119308 = शून्य

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 पंचायत राजस्व की वसूली :-

पंचायत सचिव घेड़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹2150 वसूली हेतु शेष थी ।

गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	11120	11120	22240	22240	0

2015-16	0	11240	11240	0	11240
2016-17	11240	25130	36370	34220	2150

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया । अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

नोट :--- मास 4/2015 से दुकान ग्राम पंचायत ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशु धन योजना के अंतर्गत पशु औषधयालय के लिये दी गई है ।

8 अनुदान ₹29.67 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2967418.79 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

10 Assessment के बिना भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002- आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा

भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹82202 का भुगतान assessment के बिना किया गया। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए assessment के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

वा0सं0	मास	कार्य का नाम	राशि
General Cash Book			
74	2/2017	C/O Community Centre Diwadi	14050
IWMP 5			
36	3/2015	C/O RRWH Tank of Sh. Jagjit Singh	19482
42	3/2015	C/O RRWH Tank of Sh. Jagjit Singh	19978
19	2/2017	C/O Well of Buti Devi	28692
योग			82202

11 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 13 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।
- 14 निष्कर्ष :- लेखाओं का रख रखाव सन्तोषजनक पाया गया ।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(2)119 / 2017 खण्ड-1-3307333 दिनांक 11.01.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत घेड़, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620046